कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग दतिया म.प्र.

क्रमांक–क्यु/अविअ/का.व्य./धारा–163/2026/596 दतिया,दिनांक–10.07.2026

//आदेश//

(अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा–163)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक फा.क्र. 84(01)/2026/2026/चार/उप–चुनाव 22 दतिया/3528 दिनांक 02.07.2026 एवं भारती निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रेस नोट क्रमांक ECI/PN/101/2026 दिनांक 02.07.2026 द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रामंक 22–दतिया में विधानसभा उपनिर्वाचन–2026 का कार्यक्रम प्रसारित किया गया है।

दिनांक 10.07.2026 को रात्रि 09 बजे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झांसी–ग्वालियर हाईवे पर चक्का जाम किया गया तथा कानून व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया है संभाव्य है कि आगे भी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कानून व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जासकता है तथा अनुभाग दतिया में लोक प्रशांति विक्षुब्द होने तथा विधिपूर्व नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा,क्षोभ या क्षति अथवा बालवा होना संभाव्य है। इस हेतु अनुभाग दतिया क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है।

अतः अनुभाग दतिया कानून व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मैं, सोनाली राजपूत, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अनुभाग दतिया जिला दतिया म.प्र. भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा–163(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुभाग दतिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा–163 के अंतर्गत आदेश पारित करती हूं कि:–

1. अनुभाग दतिया में कोई भी व्यक्ति अपने साथ धारदार हथियार जैसे–तलवार,फरसा,बल्लम,भाला,छुरी,गुप्ती,लोहांगी,एवं घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर विचरण करेगा और न ही उनका सार्वजनिक प्रदर्शन अथवा प्रयोग करेगा ।
2. आदेश की अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन अथवा रैली आयोजित नहीं की जायेगी।
3. किसी भी प्रकार के भड़काउ भाषण, नारे, पोस्टर,बैनर अथवा ऐसी गतिविधियां जिनसे संप्रदायिक सौहार्द अथवा कानून–व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो प्रतिबंधित रहेंगी।
4. सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक माध्यम या अन्य किसी माध्यम से भ्रामक,भड़काउ,अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं किया जायेगा।
5. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं आदर्श आचार सहिंता का पालन किया जावे ।
6. संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के नियमों का पालन किया जावे ।
7. पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे।
8. लायसेंसी शस्त्र लेकर विचरण नहीं करेगा।
9. म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के नियमों का पालन इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों, प्रांतीय सशस्त्र बल,होमगार्ड,केन्द्रीय पुलिस,बैंको के गार्ड,दूरसंचार के गार्डों जो कि कानून व्यवस्था हेतु हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गये हैं तथा प्रशासनिक अधिकारियों,माननीय न्यायाधिपतिगण,सुरक्षा कर्मी तथा सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा ।

चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि जनसाधारण एवं हथियारधारकों को पृथक से सूचना तामील करना संभव नहीं है अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश अनुभाग दतिया के सभी स्थानों पर लागू होगा, आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।

यह आदेश दिनांक 10.07.2026 रात्रि 09 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी,
अनुभाग दतिया म.प्र.

प्रतिलिपिः—

1. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दतिया की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक महोदय जिला दतिया की ओर सादर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस दतिया/बडोनी/भाण्डेर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त अनुभाग दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. थाना प्रभारी समस्त अनुभाग दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जनसंपर्क अधिकारी दतिया की ओर भेजकर जनसाधारण की जानकारी हेतु आदेश का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी,
अनुभाग दतिया म.प्र.